सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
वैशाख 03, मंगलवार, *शाके* 1946-अप्रेल 23, 2024 *Vaisakha 03, Tuesday , Saka 1946- April 23, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एवम उपखण्ड अधिकारी बयाना जिला भरतपुर

अधिसूचना

भरतपुर, फरवरी 02, 2024

(भू-अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापनमें उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा4(1))

संख्या राजस्व/2023/400 :-भू-अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापनमें उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापनमें उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार 2016 के प्रावधानुसार एवम राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप-6 विभाग के परिपत्र क्रमांक प०1 150 राज0/6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार भरतपुर जिले की तहसील बयाना (ग्राम-सालाबाद) एल.सी.नंबर 224X पर रेल्वे आवॅर ब्रिज निर्माण में निम्नानुसार प्रभावित गाँवोमें भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित्त है।

ग्राम- सालाबादविवरणग्राम- सालाबादविवरण

क्र.सं.	खसरासं.	कुलरकबा (है0)	अवाप्तकिए जाने वाला क्षेत्रफल (है0)
1	2	3	4
1	398	0.17	0.1042
2	399	0.1	0.1331
3	400	0.31	0.00001
4	401	0.11	0.0598
5	402	0.2	0.0117
6	403	0.21	0.0361
7	564	0.16	0.0708
8	565	0.08	0.045
9	566	0.1	0.0554
10	571	0.17	0.0235
11	572	0.21	0.0193
12	573	0.3	0.0829
13	574	0.04	0.0964
14	584	0.14	0.1096
15	589	0.05	0.0464

क्र.सं.	खसरासं.	कुलरकबा (है0)	अवाप्तकिए जाने वाला क्षेत्रफल (है0)
1	2	3	4
32	628	0.28	0.2306
33	629	0.1800	0.0061
34	634	0.2000	0.0326
35	655	0.16	0.0001
36	658	2.83	0.143
37	783	0.47	0.0674
38	784	0.11	0.0054
39	785	0.08	0.027
40	786	0.02	0.0221
41	787	0.02	0.0004
42	789	0.18	0.0145
43	790	0.44	0.4481
44	791	0.05	0.0027
45	797	0.04	0.0061
46	838	0.64	0.6595

16	590	0.04	0.0466
17	591	0.07	0.0554
18	597	0.05	0.0405
19	598	0.02	0.0141
20	599	0.02	0.012
21	600	0.03	0.0269
22	617	0.1500	0.000005
23	618	0.07	0.1014
24	619	0.07	0.0204
25	620	0.1	0.0259
26	621	0.1	0.0141
27	622	0.06	0.0078
28	623	0.11	0.0006
29	625	0.16	0.0089
30	626	0.08	0.0474
31	627	0.05	0.0327
47	1155	0.55	0.0066
48	1156	0.29	0.0489
49	1157	0.18	0.0223
50	1158	1.1	0.147
51	1159	0.04	0.0315
52	1160	0.14	0.0266
53	1167	0.1900	0.0042
54	1185	0.1000	0.0404
55	1186	0.09	0.03
56	1190	0.0500	0.0236
57	1191	0.0200	0.0011
58	1193	0.77	0.0005
59	1645	0.01	0.0025
60	1646	0.09	0.0297
61	1648	0.17	0.0393
62	1184/1998	0.0300	0.0192
योग	**किता**62		**3.4879**

- अधिसुचित भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापनअधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या ३०/२०१३) में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 11(1) के प्रावधानों के तहत कीजाएगी।
- सरकार द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि०वि० खण्ड बयाना व उनके स्टाफ/कर्मचारी को इलाके में किसी भी भूमि का सर्वे, नाप व लेवल के लिए प्रवेश करने, भूमि के नीचे मिट्टी की जांच के लिए बोरकरने व परियोजना केकिर्यान्वन व उचित निर्माण के लिए अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत किया जाता है।
- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(4) के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख़ के अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा होने के समय तक प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का जिला कलेक्टर महोदय की अनुमति के बिना कोई सव्यवहार नहीं करेगा याकोई सव्यवहार कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा।
- परियोजना हेतू नियमानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण हेतू सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बयाना द्वारा सामाजिक समाघात हेतु एजेन्सी का चयन करवाया जायेगा।
- सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवो में सामाजिक समाघात निर्धारण भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापनमें उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार 2016 के प्रावधानुसार किया जावेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।
  1. संस्थान द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

2.प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गावों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी तत्पश्चात प्रभावित गाँवो में पर्याप्त प्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप् से रिकार्ड किया जावेगा।

3.जनसुनवाई के दौरान आये सुझावों/ आपतियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवम सामाजिक समाघात प्रबन्ध रिपोर्ट तैयार की जावेगी।

4.सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गावों में सम्बंधित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।

5.सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद का अक्रत और शून्य बना देगा।

6.सामाजिक समाघान निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि में पूर्ण सम्पूर्ण कराया जाना अनिवार्य है।

सम्पर्क सूत्र
भूमि अवाप्ति अधिकारी
एवम उपखण्ड अधिकारी
बयाना,जिला भरतपुर
Email Id:-sdobayana@gmail.com

भूमि अवाप्ति अधिकारी
एवम उपखण्ड अधिकारी
बयाना,जिला भरतपुर

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।